संख्या- 405 / 2024 / 3640 /चार-2024- 1663787

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ : दिनांक 16 दिसम्बर, 2024

विषय:- जनपद-बलरामपुर के इमिलिया कोडर में थारू जानजाति संस्कृति संग्रहालय के निर्माण कार्यों की अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-826/उ0प्र0सं0नि0-5(49)/2017-18-।।। दिनांक 28 नवम्बर, 2024 के संबंध में अवगत कराना है कि जनपद बलरामपुर में इमिलिया कोडर में या उसके आस-पास थारू जनजाति से संबंधित संस्कृति को संरक्षित रखने हेतु संग्रहालय के निर्माण कार्य हेतु मूल्यांकित लागत रू0 2478.93 लाख (जी0एस0टी0 सहित) के सापेक्ष अब तक रू0 2354.99 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। शासनादेश संख्या- 126/2024/832/चार-2024 दिनांक 11 मार्च, 2024 द्वारा प्रश्नगत संग्रहालय के निर्माण कार्य हेतु दिनांक 13.07.2022 के पश्चात् कराये गये कार्यों में 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 के आधार पर 06 प्रतिशत अतिरिक्त जी0एस0टी0 रू0 41.28 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बलरामपुर में इमिलिया कोडर में या उसके आस-पास थारू जनजाति से संबंधित संस्कृति को संरक्षित रखने हेतु संग्रहालय के निर्माण कार्य हेतु अवशेष 5 प्रतिशत धनराशि में से रू0 60.52 लाख (रू0 साठ लाख बावन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था- कान्स्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।
(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(3) शासनादेश संख्या- 185/2022/2133/चार-20223-110 (विविध)/2017 दिनांक 14 अक्टूबर, 2022 में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेंगी।
(4) उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(5) प्रश्नगत स्वीकृति उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय/ कार्यदायी संस्था- कान्स्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय/ कार्यदायी संस्था- कान्स्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ का होगा।
(6) कार्यदायी संस्था द्वारा परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
(8) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रु0 60.52 लाख (रुपये साठ लाख बावन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 92 के अन्तर्गत ''लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति-106- संग्रहालय -10- जनपद बलरामपुर में इमिलिया कोडर व उसके आस-पास थारू जनजाति की संस्कृति के संरक्षण हेतु संग्रहालय -24-वृहत निर्माण कार्य'' मद से वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

संख्या- 405 /2024/ 3640 (1) /चार-2024-1663787 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, बलरामपुर।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ।
7- आहरण एवं वितरण अधिकारी- संग्रहालयाध्यक्ष, लोक कला संग्रहालय, लखनऊ।
8- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- प्रधान सचिव, दीन दयाल शोध संस्थान, नई दिल्ली ।
10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।